जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 04.01.2025

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस पर तहसील मेंहदावल पर पहुंचकर सुनी गयी जनता की समस्याएं, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश

आज दिनांक 04.01.2025 को जिलाधिकारी संतकबीरनगर ***श्री महेन्द्र सिंह तंवर*** व पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस पर संयुक्त रुप से ***तहसील मेंहदावल*** पर पहुंचकर पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जहां पर फरियादियों से उनकी समस्याओं को मौके पर सुना गया तथा वहां मौजूद संबंधित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। राजस्व और पुलिस विभाग से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण आपसी सामंजस्य से सुनिश्चित किया जाये, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। तत्पश्चात वहां मौजूद शिकायत पंजिका का निरीक्षण करते हुए निस्तारित हो चुकी शिकायतों के संबंध मे फीडबैक भी लिया गया। इस अवसर पर राजस्व व पुलिस के अन्य अधिकारी / कर्मचारीगण मौजूद रहे।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में यातायात जागरुकता बढ़ाने हेतु यातायात पुलिस द्वारा रिफ्लेक्टर लगा कर लोगों को किया गया जागरुक

आज दिनांक 05.01.2025 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन,अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी यातायात ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी यातायात ***श्री परमहंस*** द्वारा खलीलाबाद शहर क्षेत्र में लोगों को यातायात जागरुकता के नियमों के बारें में जागरुक करते हुए भारी वाहन, ट्रैक्टर ट्राली पर रिफ्लेक्टर लगाया गया तथा नाबालिग बच्चो को वाहन न चलाने, तीन सवारी न बैठने, बिना नम्बर प्लेट लगी वाहन न चलाने, नशे की हालत में गाड़ी न चलाने, वाहन को ओवर स्पीड़ से न चलाने के बारे में बताया गया तथा अपने परिवार वालों एवं रिश्तेदारों तथा आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट के प्रयोग करने हेतु प्रेरित करने की भी अपील की गयी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 145 वाहनों से 1,39,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 04.01.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 145 वाहनों से 1,39,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।